

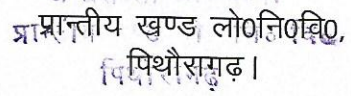
परियोजना का नाम:- चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर 18 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

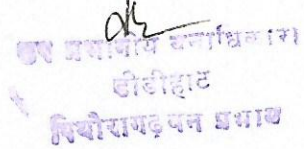


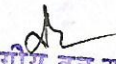
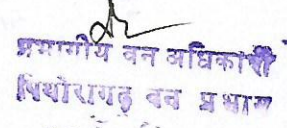
अधिसूचक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।


ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी


वन अधिकारी
पिथौरागढ़।



वन अधिकारी
पिथौरागढ़।



प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग।


परियोजना का नाम :- चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी 0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 18 है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक 18 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

वन स. अधिकारी
पिथौरागढ़

नक्षत्रा
अ. 4-

प्रभागीय वनाधिकारी
डीडीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग